ग्रा0वि0–6– NRLM/01-25/2025 (पार्ट–I)...5140025.....

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक–...02/02/2026

विषयः– **मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति ।**

बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसन्द का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसन्द का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रूपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. साथ ही, महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्रति लाभुक दो लाख दस हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस संदर्भ में राज्य भर में गाँवों से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट–बाजार विकसित किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वयन अनुदेश तैयार किया गया है।

उक्त परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अन्तर्गत चयनित लाभुकों को अलग–अलग चरणों में विभिन्न माप–दण्डों के पूर्ण होने पर दो लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं:–

3. योजनान्तर्गत अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित माप–दण्ड एवं अर्हता निम्नवत हैं:–

3.1 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0–4532790 दिनांक–29.08.2025 एवं मार्गदर्शिका के आलोक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्रथम चरण में सभी योग्य लाभुकों को रू0 10,000 (दस हजार रुपये) की राशि प्रदान की जानी है, जिसमें अबतक 01 करोड़ 56 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित की गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शेष आवेदकों को भी नियमानुसार राशि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

3.2 **योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों को 02 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित माप–दण्ड निर्धारित की जाती है:–**

(क) **द्वितीय चरण में,** जिन लाभुकों द्वारा रू0 10,000 (दस हजार रुपये) की सहायता राशि का समुचित उपयोग करते हुए अपने ग्राम संगठन के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा, उन्हें रू0 20,000 (बीस हजार रुपये) की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित लाभुक द्वारा स्वयं के अंशदान के रूप में रू0 5,000 (पांच हजार रुपये) का योगदान किया जाना अनिवार्य होगा। लाभुक की व्यवसायिक योजना का अनुमोदन संबंधित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा तथा लाभुक द्वारा कार्यान्वयन अनुदेश में अंकित निर्धारित शर्तों एवं माप–दंडों को पूर्ण करने की स्थिति में ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

(ख) **तृतीय चरण में,** जिन लाभुकों के द्वारा द्वितीय चरण में प्राप्त राशि का समुचित उपयोग कर लिया जायेगा, उन्हें कार्यान्वयन अनुदेश में अंकित शर्तों एवं मापदंडों को पूरा करने पर रू0 40,000 (चालीस हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही, सदस्यों द्वारा भी स्वयं के अंशदान के रूप में रू0 10,000 (दस हजार रुपये) का योगदान किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) **चतुर्थ चरण में,** जिन लाभुकों के द्वारा तृतीय चरण में प्राप्त राशि का समुचित उपयोग कर लिया जायेगा, उन्हें कार्यान्वयन अनुदेश में अंकित शर्तों एवं मापदंडों को पूरा करने पर रू0 80,000 (अस्सी हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही, सदस्यों द्वारा भी स्वयं के अंशदान के रूप में रू0 20,000 (बीस हजार रुपये) का योगदान किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) **पांचवें चरण में,** जिन लाभुकों के द्वारा चतुर्थ चरण में प्राप्त राशि का समुचित उपयोग कर लिया जायेगा, उन्हें कार्यान्वयन अनुदेश में अंकित शर्तों एवं मापदंडों को पूरा करने पर ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं पैकेजिंग इत्यादि हेतु रू0 60,000 (साठ हजार रुपये) की राशि प्रदान की जायेगी, ताकि उनके द्वारा बनाये गए उत्पादों की बाजार सुलभता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) बिहार लघु उद्यमी योजना से आच्छादित लाभुकों को इस योजना के अतिरिक्त चरणों में दी जानेवाली आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, वह पूर्व की भॉति बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जानेवाली सहायता के ही पात्र होंगे।

3.3 **योजनान्तर्गत दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न चरणों की निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की जाती है:–**

क्र0	किस्त	आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु मापदंड
1	**द्वितीय किस्त**	1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त प्रथम किस्त की राशि के समुचित उपयोग का प्रमाण।
		2. लक्षित परिवार के प्रोफाइल का सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) में प्रविष्टि ।
		3. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुक द्वारा बुनियादी वित्तीय साक्षरता विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो ।
		4. लाभुकों की स्वयं सहायता समूह (SHG) की बैठकों में नियमित उपस्थिति।
		5. लाभुकों द्वारा स्वयं सहायता समूह की बैठकों में लगातार 3 माह तक नियमित बचत किया गया हो।

क्र0	किस्त	आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु मापदंड
		6. लाभुकों द्वारा व्यवसायिक/ उद्यम योजना (Business Plan) का निर्माण।
		7. ग्राम संगठन द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत द्वितीय किस्त की मांग का अनुमोदन।
		8. व्यवसाय से संबंधित बुनियादी आय–व्यय पंजी (Cash Book/ Record) का नियमित संधारण।
		9. लाभुक के द्वारा स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण की देयता की पूर्ण अदायगी की गयी हो।
2	तृतीय किस्त	1. द्वितीय किस्त की राशि के समुचित उपयोग का साक्ष्य एवं सृजित व्यवसायिक परिसंपत्तियों की क्रियाशीलता का प्रमाण।
		2. लाभुक द्वारा जीविका के माध्यम से संचालित उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development) विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो।
		3. लाभुक द्वारा जीविकोपार्जन एवं व्यवसायिक विस्तार योजना का निर्माण तथा संबंधित सक्षम प्राधिकार (संकुल स्तरीय संगठन) द्वारा अनुमोदन।
		4. स्वयं सहायता समूह में पिछले छः माह के दौरान नियमित बचत का साक्ष्य।
		5. स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण की पिछले छः माह में ससमय वापसी का प्रमाण।
		6. लाभुक के द्वारा स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण की देयता की पूर्ण अदायगी की गयी हो।
		7. लाभुक द्वारा बैंक/डाकघर खातों में विगत तीन माह तक बचत किया जाना।
		8. लाभुक की स्वयं सहायता समूह की बैठकों में नियमित उपस्थिति।
		9. लाभुक द्वारा कम–से–कम एक अन्य सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया गया हो ।
		10. जोखिम प्रबंधन हेतु लाभुक द्वारा स्वयं का बीमा एवं सृजित परिसंपत्तियों का बीमा कराया गया हो (अगर बाजार में सुविधा उपलब्ध हो)।
		11. योजना अंतर्गत पूर्व में निर्गत किस्तों से संबंधित सभी मापदंडों का अनुपालन किया जाना।
3	चतुर्थ किस्त	1. तृतीय किस्त की राशि के समुचित उपयोग का साक्ष्य एवं सृजित परिसंपत्तियों की क्रियाशीलता का प्रमाण।
		2. योजना अंतर्गत पूर्व में निर्गत सभी किस्तों से संबंधित मापदंडों का पूर्ण अनुपालन।
		3. लाभुक द्वारा कौशल एवं उद्यमिता विकास पर उन्नत प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया हो।

क्र0	किस्त	आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु मापदंड
		4. लाभुक द्वारा जीविकोपार्जन एवं व्यवसायिक विस्तार योजना का निर्माण तथा संबंधित सक्षम प्राधिकार (संकुल स्तरीय संघ) द्वारा अनुमोदन।
		5. लाभुक के व्यवसाय का विविधिकरण/ समुचित संवर्द्धन किया गया हो।
		6. लाभुक द्वारा विगत तीन माह से निरंतर लाभ अर्जित किया गया हो ।
		7. व्यवसाय से अर्जित लाभ के माध्यम से परिवार हेतु स्थायी परिसंपत्ति (जैसे– भूमि, शिक्षा कोष, तकनीकी उपकरण, पशु शेड, आदि) का निर्माण।
		8. जोखिम प्रबंधन हेतु लाभुक द्वारा स्वयं का तथा परिसंपत्तियों का बीमा कराया गया हो ।
		9. व्यवसाय के औपचारिकीकरण हेतु उद्यम आधार पंजीकरण अथवा स्थानीय निकाय में व्यवसाय का पंजीकरण करने का साक्ष्य। ('अगर लाभुक द्वारा घरेलु स्तर पर पशुपालन व्यवसाय किया गया है, तो यह कंडिका लागू नहीं होगी।)
		10. लाभुक द्वारा अपने बैंक/डाकघर के बचत खाते में न्यूनतम तीन माह तक रू0 1,000/–प्रति माह की नियमित बचत।
5	**पंचम किस्त**	1. चतुर्थ किस्त की राशि के समुचित उपयोग का साक्ष्य एवं सृजित व्यवसायिक परिसंपत्तियों की क्रियाशीलता का प्रमाण।
		2. योजना अंतर्गत पूर्व में निर्गत सभी किस्तों से संबंधित मापदंडों का अनिवार्य अनुपालन।
		3. लाभुक द्वारा जीविकोपार्जन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग से संबंधित कार्ययोजना का निर्माण तथा संबंधित सक्षम प्राधिकार (संकुल स्तरीय संघ) द्वारा अनुमोदन।
		4. लाभुक द्वारा पैकेजिंग, डिजीटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग विषय पर उन्नत कौशल प्रशिक्षण एवं वैधानिक अनुपालन से संबंधित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया हो।
		5. लाभुक द्वारा विगत तीन माह में औसतन रू0 8,000/– या उससे अधिक की मासिक आय अर्जित की गयी हो।
		6. योजना अंतर्गत प्रदत्त परिसंपत्तियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रमाण।
		7. लाभुक द्वारा विगत छः माह में अपने बैंक/डाक घर में Fixed Deposit/ Recurring Deposit के माध्यम से न्यूनतम रू0 1,000/–प्रति माह की नियमित बचत किया गया हो।
		8. लाभुक के व्यवसाय का बाजार से प्रभावी जुड़ाव (Market Linkage) के संबंध में समुचित साक्ष्य ।

3.4 अगर किसी लाभुक के द्वारा चरण विशेष में तय किये गये मापदंडों को पूरा करते हुए निर्धारित राशि से अधिक की एकमुश्त राशि की माँग की जाती है, तो ऐसे प्रस्तावों का ग्राम संगठन स्तर पर मूल्यांकन कराते हुए अनुशंसित प्रस्ताव जिला स्तरीय गठित समिति के पास भेजे जायेंगे। जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव के आलोक में लाभुक को निर्धारित राशि से अधिक सहायता राशि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्गत की जा सकेगी, जिसकी अधिमान्य राशि रू0 2,00,000 (दो लाख रुपये) तक की होगी।

3.5 मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर व्यवसाय शुरु करने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही, कुछ लाभुकों द्वारा एक समूह के रुप में व्यवसाय शुरु किये जाने की स्थिति में व्यवसायिक प्रस्तावों का ग्राम संगठन स्तर पर मूल्यांकन करते हुए जिला स्तरीय समिति को अनुशंसा भेजी जायेगी, जिनके सम्यक् मूल्यांकनोपरांत अतिरिक्त वित्तीय सहायता संबंधित समूहों को निर्गत की जा सकेगी।

3.6 किश्तों के भुगतान के संदर्भ में किसी भी विवाद की स्थिति या किश्त के विरुद्ध निर्धारित राशि से अधिक की राशि की माँग प्राप्त होने की स्थिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) की अध्यक्षता में मुख्यालय स्तर पर गठित समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

3.7 इसके अलावा, योजना के क्रियान्वयन हेतु एक विस्तृत कार्यनीति बनायी गयी है, जिसमें लाभुक का प्रोफाइल तैयार करना, लाभुक का चयनित व्यवसाय के क्षेत्र में क्षमतावर्धन करना, उनके द्वारा किये जा रहे जीविकोपार्जन गतिविधियों का श्रेणीकरण कर आवश्यकतानुसार आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा विभिन्न सरकारी विभागों से अभिसरण करवाना सम्मिलित है।

4. लाभुकों का कौशल विकास एवं क्षमतावर्द्धनः–

4.1 योजना के अन्तर्गत चयनित लाभुकों का मूलभूत प्रोफाइल, आय विवरणी एवं जीविकोपार्जन विवरणी मोबाइल एप के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा। लाभुक के मूलभूत प्रोफाइल, आय एवं जीविकोपार्जन विवरणी के विश्लेषण तथा प्रथम किस्त की राशि से चयनित रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए जीविका द्वारा व्यवसाय से सम्बन्धित आधारभूत प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास एवं कौशल विकास का कार्य किया जाएगा। इसमें व्यवसायिक गतिविधियों के विकास हेतु सूक्ष्म व्यवसाय विकास एवं प्रबंधन, पशुधन विकास एवं प्रबंधन, कृषि विकास एवं प्रबंधन, कौशल एवं विनिर्माण आधारित प्रशिक्षण एवं सेवा आधारित प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ, लाभुकों को समय–समय पर बुनियादी एवं उन्नत लेखा एवं वित्तीय साक्षरता संबंधी कौशल प्रशिक्षण एवं वैधानिक अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4.2 **सूक्ष्म व्यवसाय विकास एवं प्रबंधनः** इसके अंतर्गत सूक्ष्म व्यवसाय चयन करने वाले सभी लाभुक को सूक्ष्म व्यवसाय के विकास एवं उसके प्रबंधन से संबन्धित विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

4.3 **कार्यक्षेत्र आधारित बुनियादी एवं उन्नत कौशल प्रशिक्षणः–**

- **पशुधन विकास एवं प्रबंधन (Livestock Development & Management)**– इसके अंतर्गत पशुधन से संबन्धित व्यवसाय चयन करने वाले लाभुक को पशुधन विकास एवं उसके प्रबंधन से संबन्धित विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **कृषि विकास एवं प्रबंधन (Agriculture Development & Management)**– इसके अंतर्गत कृषि से संबन्धित व्यवसाय चयन करने वाले लाभुक को कृषि विकास एवं उसके प्रबंधन से संबन्धित विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **कौशल एवं विनिर्माण आधारित प्रशिक्षण (Skill and Manufacturing based Training)**– इसके अंतर्गत कौशल एवं विनिर्माण आधारित व्यवसाय चयन करने वाले लाभुक को संबन्धित कार्यों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें हस्तशिल्प और कारीगरी, सिलाई और कढ़ाई, बेकरी उत्पाद, साबुन और डिटर्जेंट बनाना आदि के उत्पादन से संबन्धित कौशल विकास किया जाएगा।
- **सेवा आधारित प्रशिक्षण (Service based Training)**– इसके अंतर्गत सेवा आधारित व्यवसाय चयन करने वाले लाभुक को संबन्धित कार्यों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें मुख्यतः– ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग, कैटरिंग और खाना बनाना आदि व्यवसाय से संबन्धित कौशल विकास किया जाएगा।

4.4 **बुनियादी एवं उन्नत लेखा एवं वित्तीय साक्षरता संबंधी कौशल प्रशिक्षणः–**

इसके अंतर्गत सभी लाभुकों को धन के प्रबंधन, बचत, निवेश, लेखा–जोखा तथा दैनिक वित्तीय गतिविधियों को समझने और संचालित करने से संबंधित बुनियादी ज्ञान प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में बजट बनाना, वित्तीय योजना तैयार करना, जिम्मेदार ऋण प्रबंधन, सुरक्षित डिजिटल भुगतान और सामान्य वित्तीय गलतियों से बचने के उपाय भी शामिल हैं, ताकि लाभुक अपने व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक वित्त को प्रभावी, सुरक्षित और संगठित तरीके से संचालित कर सकें।

4.5 **वैधानिक अनुपालन से संबंधित प्रक्रियाओं का प्रशिक्षणः–**

इसके अंतर्गत लाभुकों को उनके व्यवसाय से जुड़े आवश्यक कानूनी प्रावधानों, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, कर (टैक्स) संबंधी नियमों तथा सरकारी मानकों का पालन कैसे करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें उन्हें यह भी सिखाया जाएगा कि आवश्यक दस्तावेज कैसे तैयार करें, समय पर अनुपालन कैसे सुनिश्चित करें और किसी भी कानूनी जोखिम से अपने व्यवसाय की सुरक्षा कैसे करें।

4.6 उक्त के संदर्भ में योजना के लाभुकों को डिजिटल प्रशिक्षण पासबुक भी प्रदान किया जायेगा। इस पासबुक में लाभुकों द्वारा प्राप्त किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की प्रविष्टि अनिवार्य होगी। साथ ही, कौशल प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार के नोडल एजेंसी बिहार कौशल विकास मिशन, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग एवं अन्य विभागों के साथ अभिसरण भी किया जायेगा, ताकि लाभुकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण संबंधी लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

4.7 योजना अंतर्गत चयनित लाभुक को प्रशिक्षित करने हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षक दल का गठन किया जाएगा। लाभुक के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT) प्रदान

कर प्रखंड स्तर पर कैडेरों का एक संसाधन पूल तैयार किया जाएगा, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लाभुकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, योजना से जुड़े सदस्यों (महिलाओं) का समरूप जीविकोपार्जन गतिविधि के बेहतर तरीके से संचालन तथा प्रबंधन करने वाले उद्यमियों के पास परिभ्रमण भी कराया जायेगा।

4.8 **प्रखंड स्तर पर उपलब्धता के अनुसार OSF (One Stop Facility)/ इनक्यूबेशन केन्द्रों से जुड़ावः**– 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' से जुड़े एवं अच्छा प्रदर्शन करने वाले उद्यमी महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY&NRLM) अंतर्गत प्रखंड स्तर पर स्थापित वन स्टॉप फेसिलिटी केंद्र (OSF)/ इनक्यूबेशन केंद्र से भी जोड़ा जायेगा, जिससे उन्हें व्यवसाय विकास एवं देख–रेख, बाजार से जुड़ाव और व्यवसायिक मार्गदर्शन जैसी सेवाएँ प्राप्त हो सकें।

4.9 **विपणन सहायताः**– मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभुकों को विश्व बैंक संपोषित Bihar Rural Transformation Project (BRTP) योजना के माध्यम से एवं अन्य विभागों के द्वारा विकसित किये जा रहे विभिन्न हाट–बाजारों के साथ जोड़ा जायेगा, ताकि लाभुकों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सके। इसके साथ–साथ लाभुकों के अतिरिक्त उत्पादों के बिक्री हेतु नजदीक के क्षेत्रों में स्थित बाजारों को भी जोड़ा जायेगा। इसके अलावा उत्पादन में अधिकता होने की स्थिति में जिला स्तर पर उत्पादों का एकत्रीकरण किये जाने के साथ ही जीविका प्रोत्साहित स्टोर्स के माध्यम से उनकी बिक्री सुनिश्चित की जायेगी। समयांतर पर लाभुकों के व्यवसाय के आपूर्ति श्रृंखला के सशक्तिकरण होने के उपरांत उनके उत्पादों को ई–कॉमर्स प्लेटफार्म से भी जोड़ा जायेगा, ताकि उनके व्यवसाय का विस्तारीकरण सुनिश्चित हो और उनके उत्पादों को नयी पहचान मिले। इसके साथ–साथ लाभुकों को उत्पाद विविधीकरण एवं संवर्द्धन हेतु भी प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि कालांतर में बाजार की मांग अनुरुप उनकी पूरी तैयारी रहे और वे बाजार में मजबूती से टिके रहकर व्यवसाय करते रहें। इसके अतिरिक्त, राज्य के अन्य विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं/ प्रोत्साहित बाजारों से भी योजना के लाभुकों को जोड़ा जायेगा।

5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति–(जीविका) समय–समय पर आवश्यकतानुसार किश्तों के भुगतान हेतु निर्धारित मापदण्डों, उनके प्रमाणीकरण, लाभुकों के प्रशिक्षण व क्षमतावर्द्धन तथा अनुश्रवण संबंधी दिशा–निर्देशों में बदलाव या संशोधन करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

6. योजना का प्रबंधन राज्य, जिला, प्रखंड, संकुल स्तरीय संगठन, ग्राम संगठन स्तर एवं स्वयं सहायता समूह के स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रारम्भ से ही विभिन्न स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों में सहयोग एवं परियोजना के सतत आकलन के उद्देश्य से एक मजबूत सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) विकसित किया जायेगा। सभी चयनित लाभुकों की समस्त विवरणी एवं विभिन्न चरणों के फोटो सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) App के माध्यम से लिया जायेगा। साथ ही, योजना अंतर्गत लाभुक द्वारा विभिन्न चरणों में प्राप्त आर्थिक सहायता एवं उसके उपयोग की जानकारी तथा मासिक स्तर पर अपने समस्त व्यवसायिक विवरणी यथा– आय–व्यय, आदि की पूर्ण विवरणी की प्रविष्टि भी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की जायेगी।

8. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में व्यय कुल राशि का 01 प्रतिशत प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा।

9. योजना अंतर्गत व्यय की राशि का वहन बजट शीर्ष– मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य– शीर्ष–02 समाज कल्याण लघु शीर्ष–103–महिला कल्याण, उप शीर्ष–0132–महिला सशक्तिकरण, विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड–42–2235021030132 अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि/ अनुपूरक आगणन/ अन्य संसाधन के माध्यम से प्राप्त राशि से किया जायेगा ।

10. अतः मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

11. इस पर दिनांक 29.01.2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं–24 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

02/02/2026
(पंकज कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5140095 पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय ।

02/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5140095 पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5/40095 पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त् सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/ सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5/40095 पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ बजट शाखा, वित्त विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/ बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार पदाधिकारी/ सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 5/40095 पटना, दिनांक– 02/02/2026

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

02/02/2026
सरकार के प्रधान सचिव